मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013 (फाल्गुन 21, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 118 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 112 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम शहर में त्रिपोलिया गेट के जर्जर होने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम घूमशी में ट्रान्सफार्मर न लगाये जाने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना में कैलारस के सहकारी शक्कर कारखाने में कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान न होने,

(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा पत्रकारिता एवं जन संचार परीक्षाएं अंग्रेजी भाषा में लेने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में नकल माफियाओं द्वारा परीक्षा में नकल कराये जाने,

(6) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले के ग्राम अवेर में अग्निकाण्ड से क्षति होने,

(7) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की बिछिया क्षेत्र के घुघरी से सलवाह मार्ग पर पुलिया निर्माण न होने से आवागमन अवरूद्ध होने,

(8) श्री देवीसिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के कृषकों की भूमि में हरिबड़ तालाब के जल भराव सम्बन्धी मुआवजा न मिलने,

(9) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर में मारू समाज को पिछड़े वर्ग की सुविधाएं न मिलने तथा

(10) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की प्रदेश में नगरपालिका निगम के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रणाली के लागू न होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश विक्रमादित्य नॉलेज सिटी (उ) मर्यादित, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 तथा

(ख) मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का पैतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2011-12 पटल पर रखे।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2007-08 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कतारपुरा के सचिव द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने सनावद स्थित अवंती सूत मिल वर्क्स समिति द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य ने भोपाल में पदस्थ तत्कालीन उप पंजीयक द्वारा भू-खण्ड बेचने की नियम विरूद्ध अनुमति दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री संतोष जोशी, सदस्य ने शाजापुर जिले के सुसनेर क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग की जर्जर स्थिति होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. वर्ष 2012-13 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।
अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए आज दिनांक 12 मार्च, 2013 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईंः-

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(2) श्रीमती रेखा यादव,सदस्य (जिला-छतरपुर)
(3) श्री भगवान सिंह राजपूत (जिला-रायसेन)
(4) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(5) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(6) श्री रामलखन सिंह (जिला-सतना)

7. खनिज साधन मंत्री का मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका में पारित निर्णय दिनांक 27 फरवरी, 2012 में दिए गए नियमों के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन संबंधी वक्तव्य दिया।
चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

8. वर्ष 2012-13 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

"दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 63, 64, 66, 72, 73, 74, 75 एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार एक सौ नौ करोड़, बहत्तर लाख, तीस हजार छह सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) डॉ. निशिथ पटेल
(6) श्री ताराचंद बावरिया

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 4, 5, 6 7 एवं 8 मार्च, 2013 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(13) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए दो हजार आठ सौ नौ करोड़, सत्रह लाख, इकतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल के लिए साठ करोड़, बानवे लाख, उन्नीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य के लिए आठ सौ बहत्तर करोड़, पच्चीस लाख, अड़तीस हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

11. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा अपना और परिवार का सम्पत्ति विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

12. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(5) श्री हेमराज कल्पोनी
(6) श्री सुदर्शन गुप्ता
(7) श्री श्रीकांत दुबे
(8) श्री बृजमोहन धूत
(9) श्री सुरेश चौधरी
(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(11) श्री के.पी. सिंह
(12) श्री पारस सकलेचा
(13) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(14) श्री मनीराम धाकड़
(15) डॉ. बाबूलाल वर्मा
(16) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(17) श्री राधेश्याम पाटीदार
(18) श्री रामलखन सिंह
(19) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी

डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(14) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 5	जेल के लिए दो सौ ग्यारह करोड़, बहत्तर लाख, तेईस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 36	परिवहन के लिए सतासी करोड़, उनासी लाख, छह हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सुनील जायसवाल
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री श्रीकांत दुबे
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(7) श्री मनीराम धाकड़
(8) श्री रामलखन सिंह
(9) श्री सुदर्शन गुप्ता
(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(11) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(12) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

श्री जगदीश देवड़ा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(15) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण के लिए एक हजार तीन सौ बयासी करोड़, आठ लाख, सतावन हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए पांच हजार तीन सौ उन्तालीस करोड़, पचासी लाख, दो हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए तिरासी करोड़, सत्तावन लाख, इकसठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए चार हजार दो सौ इक्कीस करोड़, अड़सठ हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्री भगत सिंह नेताम
(3) श्री ब्रजराज सिंह
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री जेवियर मेड़ा
(6) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(7) श्रीमती शशि ठाकुर
(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(9) श्रीमती सुलोचना रावत

कुंवर विजय शाह ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 (फाल्गुन 22, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 12 मार्च, 2013